

## कार्यालय,

### प्रविष्ट, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

#### उत्तर प्रदेश संघमन्त्र

संस्था- प्राविधिक परिषद सम्बद्धता/2022/7817

संघमन्त्र दिनांक: 30/08/2022

#### कार्यालय तार:-

प्रविष्ट भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, लखनऊ द्वारा कार्यालय काउन्सिल ऑफ इंजिनिअरिंग, लखनऊ द्वारा वार्षिक सत्र 2022-23 हेतु विद्यार्थी भारतीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० संघमन्त्र से सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 30/08/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदित लखे संस्थाओं को सम्बद्धता एवं से संघीयित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्राव्यक्रम प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य सभी पर विचार करने हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में विवेक एवं निर्णय के अनुसार से शिक्षा संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० संघमन्त्र द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्राव्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4494-H M F A MEMORIAL INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY			
क्र०सं०	प्राव्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	45	45
2	MECHANICAL ENGINEERING	45	45

#### सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1992 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992 विनियमवली-2000, संशुद्ध विनियमवली-2018 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क ताल बर्षीय इजाजत प्राव्यक्रमों हेतु ₹० 20150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय कार्यालय प्राव्यक्रम हेतु ₹०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय प्राव्यक्रमों (दो वर्षीय कार्यालय प्राव्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹०- 22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही वार्षिक छात्रांतर से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्रांतरांशों में शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किए जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। शिक्षा निर्धारण समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु सीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, जो सीस की सर्वोत्तम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓

संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधिविधायी/अधिनियम/शासनादेश/निर्देशी एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।

- ✓ यदि संस्थान का ए०आइ०सी०टी०ई०/ए०सी०आई० से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई वाद दायर किया जाता है तथा वाद के संबंध में सा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिक्रिया संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश आइएनए द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु आयोजित काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व ए०आइ०सी०टी०ई०/ए०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार पर) संशोधन नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम जानकारी विधियों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएँ जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्रान्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रवास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ शैक्षणिक गुणों के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित करे कि संस्था में प्रस्तावित संचालित पाठ्यक्रम को वास्तव्ये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो सम्बन्धित संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था के आंतरिक स्थायी निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए०आइ०सी०टी०ई०/ए०सी०आई०/परिषद के मातहत/द्वारा उपलब्ध नहीं प्राप्त जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में विधानानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

  
(एफ०आर० खान)

सचिव

पू०सं०- प्रावि/परिषद सम्बद्धता/2022/7916-8455

दिनांक: 30/08/2022

प्रतिलिपि-

प्रधानाचार्य/निदेशक, H. M. F. A. MEMORIAL INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY

  
(एफ०आर० खान)



कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राशिप/परिषद/सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ: दिनांक: 09/08/2021

:-कार्यालय ताप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मेटो काउन्सिल ऑफ इंजिनियरिंग, नई दिल्ली द्वारा मौलिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदित प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संघन हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मर्दानों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुकूल में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4494-H M F A MEMORIAL INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY, KARARI BHADLI, HANDIA, ALLAHABAD

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	प०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	45	45
2	MECHANICAL ENGINEERING	45	45

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1982, सेमेस्टर विनियमवाली 2016 तथा अन्य विहित विनयों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेटो पाठ्यक्रम हेतु रु० 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेटो पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु० 22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेशों प्रभावी होंगे, और तदनुसार

कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।

- ✓ संस्था को (उपरोक्त प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर विगत शासनदेश के अनुसार विरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनदेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उपरोक्त संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उपरोक्त तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उपरोक्त द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी सी आई, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती हैं तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई बाढ़ ठामर किया जाता है तथा ठामर बाढ़ के संबंध में न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक वृष्टि भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रवास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण/प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित संचालित पाठ्यक्रम को चलाने जाने हेतु निर्देशन समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशंसा की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्थानीय निरीक्षण दौरेत यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई०/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किसी ज्ञाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में विधमानुसार

अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पू0सं0- प्राधिपापरिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिलिपि-

प्रधानाचार्य/निदेशक H M F A MEMORIAL INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY,  
KARARI BHADLI, HANDIA, ALLAHABAD



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

**अर्थात्  
राज्य प्रशासनिक शिक्षा परिषद,  
राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स**

**संख्या - आचार्य/परिषद, राजधरा/2020/1871**

**दिनांक - 19-8-2020**

--आचार्य का--

जिस प्रकार राज्याभिन्न शिक्षा परिषद, मुंबई/परीक्षा केंद्रों पर परीक्षाएं आयोजित, उन्हें दिल्ली द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 हेतु शिक्षण कर्मियों राज्याभिन्न शिक्षा परिषदों को अनुमति देना कि वे अपने प्रशासनिक शिक्षा परिषद, राज्य सरकार से राजधरा/राजधरा विद्यालय को भी हेतु शिक्षण 19-08-2020 को 2020 राज्याभिन्न शिक्षा परिषद, राजधरा को राजधरा के परीक्षा केंद्रों में सेवा करने हेतु कि वे पत्रों द्वारा वर्ष 2020-21 हेतु आचार्य का राजधरा/पुणे में आयोजित परीक्षाओं को सम्पादन शिक्षण/राजधरा/अध्यक्ष द्वारा पुणे के लिए जहाँ पर शिक्षण केंद्रों हेतु वर्ष 2020-21 हेतु राजधरा राज्य हेतु जहाँ का निर्णय किया गया।

उक्त के अनुसार वे राजधरा पत्रों को कि वे 19-08-2020 के दिनांक को ही परीक्षाओं आयोजित करें। उक्त के अनुसार वे राजधरा पत्रों को कि वे 19-08-2020 के दिनांक को ही परीक्षाओं आयोजित करें। उक्त के अनुसार वे राजधरा पत्रों को कि वे 19-08-2020 के दिनांक को ही परीक्षाओं आयोजित करें।

पत्रों को वे सविगत शिक्षण 19-08-2020 को ही परीक्षाओं आयोजित करें। उक्त के अनुसार वे राजधरा पत्रों को कि वे 19-08-2020 के दिनांक को ही परीक्षाओं आयोजित करें। उक्त के अनुसार वे राजधरा पत्रों को कि वे 19-08-2020 के दिनांक को ही परीक्षाओं आयोजित करें।

पत्रों को वे सविगत शिक्षण 19-08-2020 को ही परीक्षाओं आयोजित करें। उक्त के अनुसार वे राजधरा पत्रों को कि वे 19-08-2020 के दिनांक को ही परीक्षाओं आयोजित करें। उक्त के अनुसार वे राजधरा पत्रों को कि वे 19-08-2020 के दिनांक को ही परीक्षाओं आयोजित करें।

दिनांक 19-08-2020 को अनुमति राजधरा पत्रों को कि वे 19-08-2020 के दिनांक को ही परीक्षाओं आयोजित करें। उक्त के अनुसार वे राजधरा पत्रों को कि वे 19-08-2020 के दिनांक को ही परीक्षाओं आयोजित करें।

क्र. सं.	राज्य सं.	राज्याभिन्न का नाम	राज्याभिन्न का नाम	राज्याभिन्न शिक्षण / रा. सं. 2020-21 के अनुसार पत्रों	पत्रों द्वारा वर्ष 2020-21 में आयोजित परीक्षा
1	1000	राज्याभिन्न शिक्षण केंद्रों में परीक्षाओं के लिए राजधरा/पुणे/राजधरा/अध्यक्ष द्वारा पुणे के लिए जहाँ पर शिक्षण केंद्रों हेतु वर्ष 2020-21 हेतु राजधरा राज्य हेतु जहाँ का निर्णय किया गया।	राजधरा पत्रों के लिए राजधरा/पुणे में आयोजित परीक्षाओं को सम्पादन शिक्षण/राजधरा/अध्यक्ष द्वारा पुणे के लिए जहाँ पर शिक्षण केंद्रों हेतु वर्ष 2020-21 हेतु राजधरा राज्य हेतु जहाँ का निर्णय किया गया।	1000	1000

- ✓ राज्याभिन्न शिक्षण केंद्रों में परीक्षाओं आयोजित करें। उक्त के अनुसार वे राजधरा पत्रों को कि वे 19-08-2020 के दिनांक को ही परीक्षाओं आयोजित करें।
- ✓ राज्याभिन्न शिक्षण केंद्रों में परीक्षाओं आयोजित करें। उक्त के अनुसार वे राजधरा पत्रों को कि वे 19-08-2020 के दिनांक को ही परीक्षाओं आयोजित करें।

*(Signature)*

